

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(R-790) अलेसे-I/4046

दिनांक:- 27/06/2024

आदेश

श्री राजेश कुमार रेगर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय पंचायत समिति, देवली (टोंक) के आवेदन के आधार पर निम्नानुसार अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

आवेदित अवकाश का प्रकार	आवेदित अवकाश की अवधि
उपार्जित अवकाश	दिनांक 05.10.2023 से 19.12.2023 तक (कुल 76 दिवस)

अतः दिनांक 05.10.2023 से 19.12.2023 तक की अवधि का वेतन भुगतान कार्यालय पंचायत समिति, देवली (टोंक) से आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही उक्त अवकाश की श्री रेगर की सेवापुस्तिका में अनिवार्य रूप से प्रविष्टि (लाल स्याही से) अंकित की जावें।

(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(R-790) अलेसे-I/4046

दिनांक:- 27/06/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, देवली (टोंक)।
- श्री राजेश कुमार रेगर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय पंचायत समिति, देवली (टोंक)।
- उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- निजी सचिव, निदेशक महोदय।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Bhupesh Kumar Mathur

Designation : Director

Date: 2024.06.25 18:30:01 IST

Reason: Approved

